न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—308/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/308

अपीलाण्ट :— वनाम रेसपोडेन्ट :—

1. मांगीलाल पुत्र दूदाजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा तहसील सायला जिला जालोर
2. लालजी पुत्र दूदाजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला जिला जालोर
3. जवरसिंहजी पुत्र दूदाजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला जिला जालोर
4. भोपसिंहजी पुत्र दूदाजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला जिला जालोर

1. देवीसिंह पुत्र राईगजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
2. वलवन्तसिंह पुत्र राईगजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
3. भीमाराम पुत्र राईगजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
4. वागसिंह पुत्र राईगजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
5. हरचंद पुत्र पुत्र राईगजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
6. सोरम देवी पुत्री राईगजी, पत्नी भैरजी, जाति निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर राजपुरोहित
7. ढेली देवी पुत्री राईगजी पत्नी मोहनलालजी, जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर हाल निवासी सांथू, तहसील व जिला जालोर
8. शान्ति देवी पुत्री राईगजी, पत्नी वाबूजी जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर हाल निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर
9. सरपंच ग्राम पंचायत रेवतडा
10. पटवारी हल्का रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर
11. तहसीलदार सायला

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.08.2024 मुकदमा सं. 5/2024 जो तहसीलदार सायला द्वारा धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पारित

उपस्थिति :—

1. श्री सतपाल पुरोहित, श्री केराराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री महिपालसिह जैतावत , विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेण्ट।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.11.2024

1. न्यायालय तहसीलदार, सायला के प्रकरण संख्या 5/2024 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम देवीसिह वगैरा में तहसीलदार सायला के निर्णय दिनांक 22.08.2024 ,से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

पाबु देवी पत्नी सादाजी को लेकर रेस्पोडेन्ट गलत विवाद कर रहें हैं क्योंकि पाबु देवी के पिता का नाम चतराजी हैं तथा चतराजी सांथु के निवासी हैं जिससे स्पष्ट है कि मृतक पाबु देवी का रेस्पोडेन्ट के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं हैं जिसके समर्थन में ग्राम पंचायत सांथु का दस्तावेज अपील के साथ संलग्न है।

सहायक कलेक्टर सायला ने अपने निर्णय में स्पष्ट फाईन्डिंग दी है कि रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने हक में नामान्तरकरण संख्या–1680 दर्ज करवाया था।

सहायक कलेक्टर सायला ने म्यूटेशन संख्या–1680 को निरस्त कर विधिवत जांच कर पुनः नियमानुसार म्यूटेशन पारित करने हेतु तहसीलदार सायला को पत्रावली भेजी थी परन्तु तहसीलदार सायला ने पुनः नामान्तरकरण संख्या–1680 को गलत रूप से बहाल कर दिया जो सरासर गलत हैं तथा उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2024 निरस्त योग्य हैं।

तहसीलदार सायला ग्राम पचांयत रेवतडा के सरपंच व पटवारी हल्का रेवतडा, भू. अभि. निरीक्षक रेवतडा व रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा ने आपस में मिलावट कर व झूठे साक्ष्य शपथ पत्र पेश करके जो आदेश पारित किया हैं वह निरस्त योग्य हैं।

अधीनरथ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या–1680 के विवाद होने के बावजूद भी अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस नहीं दिया जिससे उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2024 निरस्त योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा द्वारा झूठे व मिथ्या दस्तावेज पेश किये गये है क्योंकि पाबु देवी पत्नी सादाजी व पिता का नाम चतराजी निवासी सांथू के है तो देवीसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज झूठे प्रमाणित हैं लेकिन तहसीलदार ने दस्तावेजों की ओर ध्यान नहीं देते हुए सहायक कलेक्टर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

सायला के निर्णय दिनांक 12.08.2024 की finding को मद्यनजर नहीं रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भूल की हैं।

मृतक पावु देवी पुत्री चतराजी रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा के कुछ नहीं लगती हैं तथा रेस्पोडेन्ट देवीसिंह द्वारा जिस पावु देवी पत्नी सादाजी की भूमि बताकर नामान्तरकरण भरवाया हैं जो सरासर गलत है क्योंकि उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट के दादी पावु देवी पुत्री चतराजी की थी तथा उक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त मांगीलाल के पिता दूदाजी व पिता समेलाजी के बाद से लगातार चला आ रहा है तथा मांगीलाल पुत्र दूदाजी का कब्जा काश्त हैं तथा गिरदावरी में उक्त खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त मांगीलाल के दादा समेलाजी पुत्र केरिंगजी दर्ज हैं लेकिन तहसीलदार सायला ने इन दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया तथा गलत निर्णय पारित किया हैं जो हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

सादाजी के पिता का नाम केरिंगजी हैं। केरिंगजी के दो पुत्र समेला व सादाजी थे तथा सादाजी की पत्नी का नाम पावु देवी था जिसका रेस्पोडेन्ट देवीसिंह के साथ कोई संबंध नहीं हैं। भू अभिलेख निरीक्षक रेवतडा ने तहसीलदार सायला के निर्देशानुसार झूठी जांच रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि तहसीलदार सायला हीरसिंह चारण व तत्कालीन पटवारी रिंकु कुमारी के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2024 पेश की थी जो पुलिस थाना सायला में दर्ज हैं जिसकी जांच विचाराधीन हैं।

भू अभिलेख निरीक्षक रेवतडा के माध्यम से राव की वहियों को तैयार करवाया गया है। यदि राव की वहियां पहले से बनी हुई होती तो सरपंच रेवतडा के समक्ष नामान्तरकरण भरते वक्त पेश की जाती। यद्यपि राव की वहियों का कानून में कोई मतलव नहीं हैं तथा राव की वहियां कभी भी तेयार की जा सकती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में राव की वहियों का कोई महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि ग्राम पंचायत सांथु से जारी प्रमाण पत्र से बखूवी सावित है कि पावू देवी पुत्री चतराजी पत्नी सादाजी सांथू की रहने वाली थी तथा ससुराल रेवतडा केरिंगजी के परिवार में था, ग्राम पंचायत रेवतडा को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने का कोई हक नहीं है या कानूनी हक नहीं था न ही रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा के हक में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कोई हक था। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र केवल जिला न्यायाधीश द्वारा ही जारी किया जा सकता हैं। अपीलान्ट ने ग्राम पचायत रेवतडा के सरपंच के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सायला में दी हुई हैं जिसकी जांच विचाराधीन हैं।

अपीलान्ट के साक्ष्य सबूत को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के साक्ष्य में विरोधाभाषी साबित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। सहायक कलेक्टर सायला के निर्णय दिनांक 12.08.2024 को तहसीलदार ने नहीं माना हैं। जबकि सहायक कलेक्टर सायला ने अपने निर्णय में देवीसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया फर्जी व कूटरचित माना है जिसका खण्डन तहसीलदार ने नहीं किया हैं।

रेस्पोडेन्ट की तरफ से प्रस्तुत गवाह को झूठे शपथ पत्र पेश किये हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय सायला ने यथावत मानने में गलती की हैं। अपीलान्ट को सुनवाई व जिरह का अवसर नहीं दिया है जिससे उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2024 हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा द्वारा पावू देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर म्यूटेशन स्वीकृत करवाया था। उक्त मृत्यु

आयालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रमाण पत्र मृत्यु के काफी वर्षो बाद म्यूटेशन स्वीकृत करवाने के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया हैं वह फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार करवाया गया है।

रेस्पोडेन्ट देवीसिंह की बहन सोरम देवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का खण्डन अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं किया हैं। सोरम देवी के शपथ पत्र को झूठा होने की finding नहीं की है तथा सोरम देवी के शपथ पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि देवीसिंह की मृतका पाबू देवी पत्नी सादाजी, देवीसिंह की भुआ नहीं है। पाबू देवी पत्नी सादाजी का पीहर सांथू में आया हुआ था। उक्त खातेदारी के खसरा संख्या 193 रकबा 0.75 हैक्टर समेलाजी की थी उसके सादाजी के वारिस दूदाजी व समेलाजी हैं। नामान्तरकरण संख्या 1680 गलत स्वीकृत करवाया था। सोरम देवी ने स्वयं पुलिस अधीक्षक जालोर को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

दूरजनसिंह नायब तहसीलदार द्वारा अपनी स्वतंत्र जांच कर अपनी रिपोर्ट उपखण्ड सायला को जरिये पत्रांक/राज / क्रमांक/2020/722 दिनांक 18.06.2024 को पेश की हैं। जिसकी नकल अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं जिसे भी तलब करना न्यायहित में आवश्यक हैं।

सरहद मौजा रेवतडा की खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 119 का पर्चा तजवीज लगान का मूल पर्चा समेलाजी पुत्र केरिंगजी के नाम से होने से वर्तमान में उक्त पर्चा लगान रेस्पोडेन्ट के देवीसिंह के होने चाहिये या लेकिन मूल लगान अपीलान्ट के पास कब्जे में हैं जिसकी फोटो प्रति को नोटेरी से प्रमाणित करवाकर पेश की जा रही है। न्यायालय द्वारा अवलोकन करने पर मिलान करने हेतु न्यायालय को बतायी जायेगी। इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उक्त दस्तावेज होने पर जांच नहीं की तथा न ही मूल रेस्पोडेन्ट से मंगवाई थी जिसे रेस्पोडेन्ट देवीसिंह ने प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2024 निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपीलान्ट्स ग्राम रेवतडा का निवासी हैं तथा सरहद मौजा रेवतडा में अपीलान्ट्स की पुश्तैनी खातेदारी आराजी आई हुई है जिसके खसरा संख्या–192 रकबा 4.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या–193 रकबा 0.75 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय की आयी हुई हैं। उक्त खातेदारी आराजी अपीलान्ट्स की पुश्तैनी आराजी हैं। अपीलान्ट्स के दादा का नाम समेलाजी था तथा अपीलान्ट्स के पिता का नाम दूदाजी हैं। समेलाजी के सगे भाई सादाजी थे। समेलाजी व सादाजी के पिता का नाम केरिंगजी था। सादाजी की मृत्यु विगत 70 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, पावु देवी के कोई जाईन्दा वारिसान नहीं था तथा उस समय अपीलान्ट्स के दादा समेलाजी व अपीलान्ट्स के पिता दूदाजी उनकी देखभाल व भरण पोषण करते थे तथा खातेदारी भूमि पर काश्त करके उपज प्राप्त करते थे। खसरा संख्या 192, 193 दोनो भूमियां पास–पास में आयी हुई हैं तथा सम्पूर्ण आराजी पर चारों तरफ बाड़ अपीलान्ट्स के द्वारा की हुई हैं तथा मौके पर संयुक्त रूप से शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहें है। अपीलान्ट्स की दादी पावु देवी की मृत्यु 45 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। पावु देवी हम अपीलान्ट्स की दादी लगती थी तथा अपीलान्ट्स तमाम उनके वारिसान व उत्तराधिकारी हैं। उक्त आराजी के खसरा संख्या–193 पर हमारे पिता दूदाजी व दादा समेलाजी का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा आज भी निर्वाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। खसरा संख्या–193 के नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक– 27.03.2024 को अपीलान्ट मांगीलाल ने जमाबंदी की प्रति निकाली

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

तो जानकारी हुई कि खसरा संख्या 193 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 देवीसिंह पुत्र राईगजी, बलवंतसिंह पुत्र राईगजी, भीमाराम पुत्र राईगजी, हरचन्द पुत्र राईगजी जातियान राजपुरोहित निवासीगण रेवतडा व ढेली देवी, सौरम देवी व शान्ति देवी का बतौर खातेदार के रूप में दर्ज था। उसके पश्चात् उनका नाम देखा तो मुझ अपीलान्ट सगे भाई जबरसिंह रेस्पोडेन्ट देवीसिंह पुत्र राईगजी, हरचन्द पुत्र राईगजी को मिला तथा कहा कि आप हमारे परिवार के क्या लगते हो ? किस हैसियत से हमारी जमीन अपने नाम करवाई हैं तब रेस्पोडेन्ट देवीसिंह व हरचन्द ने कहा कि हम लोगों की काफी ऊंची पहुंच है, ग्राम पंचायत रेवतडा का सरपंच व पटवारी हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने हमे कुछ कागजात बनाने के लिए कहा था, तब हमने पाबु देवी के रिश्तेदार बनकर उक्त जमीन हमारे नाम से रेकर्ड में दर्ज करवाई है। अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो तथा देवीसिंह व हरचन्द ने कुछ कागजात अपीलान्ट को बताये जिससे यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट्स की दादी पाबु देवी के भतीज बनकर कूटरचित शपथ पत्र पेश कर गलत व मिथ्या जानकारी देकर कूटरचित शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत रेवतडा के सरपंच व ग्राम सेवक से मिलावट करके फर्जी कागजात जिस पर ग्राम पंचायत रेवतडा के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं जिसके फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर मिथ्या जानकारी का शपथ पत्र पेश किये। उसके आधार पर पटवारी व सरपंच ने मिलकर फर्जी कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया।

रेस्पोडेन्ट द्वारा जिस पाबु देवी के भतीज व वारिसान बनकर खातेदारी भूमि के कूटरचित दस्तावेज बनाकर हडप की है वह पाबु देवी पुत्री अदरिंगजी की जायन्दा पुत्री थी तथा उसका ससुराल ग्राम ऊण तहसील आहोर में था तथा इसकी भूमि मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कोई जायन्दा पुत्र नहीं थे। रेस्पोडेन्ट देवीसिंह, हरचन्द, वागसिंह, भीमाराम, बलवन्तसिंह इन तमाम लोगों ने अपीलान्ट्स भूमि को हडप करने के लिए कूटरचित व बनावटी दस्तावेज तैयार करके हमारी भूमि अपीलान्ट्स की दादी पाबु देवी के वारिसान बनकर अपने नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपनीलान्ट ने सहायक कलेक्टर सायला में एक म्यूटेशन अपील प्रस्तुत की थी जो दर्ज रजिस्टर होकर सभी पक्षकारों को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल प्राप्त हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की तरफ से अधिवक्ता समन्दरसिंह द्वारा वकालातनामा पेश किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 से 10 बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। उसके पश्चात् अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विवादित आराजी का म्यूटेशन संख्या 1680 दिनांक 07.03.2024 का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलान्ट अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि उक्त खातेदारी भूमि के खसरा संख्या–193 रकबा 0.75 हैक्टर जो स्व. पाबु देवी पत्नी सादाजी की थी, सादाजी के सगे भाई सगेलाजी थे, उनके पिताजी का नाम केरिंगजी था एवं सगेलाजी के पुत्र दूदाजी थे। खातेदारी भूमि खसरा संख्या–192 में जो दूदारामजी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी. खसरा संख्या–193. जो पाबू देवी के नाम दर्ज थी। चूंकि पाबू देवी पत्नी सादाजी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उक्त दोनो खसरों का कब्जा काश्त समेलाजी व दूदाजी का ही था। जिसका सबूत पर्चा तजबीज लगान सवत्

कार्यालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

2009 से 2028 दर्ज है। जिसमें अपीलान्ट मांगी लाल के दादा समेला पुत्र केरिंग का नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कौमित सकूनत में दर्ज है, तथा पर्चा लगान के कॉलम नम्बर एक में नाम काश्तकार में पाबू बेवा सादा कौम पुरोहित साकिन रेवतडा दर्ज है। सादाजी का ससुराल सांथू राजपुरोहित गजोणी परिवार में था। पाबू देवी के पिता का नाम चतराजी था जो स्पष्ट दस्तावेज साक्ष्यों से प्रमाणित हैं। रेस्पोडेन्ट देवीसिंह, बलवंतसिंह, भीमाराम, वागसिंह, हरसन सभी जनों ने अपनी भुआ का नाम पाबू देवी होने का फायदा उठाकर कूटरचित दस्तावेज बनाकर नामान्तरकरण संख्या 1680 दिंनाक 07.03.2024 को भरवा दिया इस सम्बन्ध में पुलिस थाना सायला में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दूदाराम के लड़के मांगीलाल ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जो मुकदमा संख्या–94/2024 है जो धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज हुआ। ग्राम पंचायत रेवतडा व पटवारी हल्का रेवतडा द्वारा पाबु देवी पत्नी सादाजी के वारिसानों की बिना जांच किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 8 को फायदा पहुंचाने के नियत से बिना गवाहों व दस्तावेज साक्ष्यों की जांच किये बिना ही वारिसानों की जांच किये जो नामान्तरकरण भरा गया हैं। ग्राम रेवतडा में पाबू बेवा सादा नाम की दो महिलाएं थी। एक पाबू बेवा सादा जिसकी मांगीलाल पुत्र दुदा राम के नजदीकी परिवार में शादी की हुई थी। जिसक पीहर ग्राम सांथू में था। दूसरी पाबू बेवा सादा की शादी ग्राम उण में की हुई थी एवं उसका पीहर ग्राम रेवतडा में था। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत उण द्वारा दिनांक 09.04.2024 को पाबू देवी पत्नि स्व. सादाजी की मृत्यु हो चुकी जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र आज दिनांक पंजीयन नहीं हुआ का प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमे स्पष्ट रूप से वर्णित किय है कि पाबू देवी मृत्यु 45 वर्ष पूर्व हुई थी। जबकि रेस्पोडेन्ट देवीसिंह द्वारा प्रस्तुत पाबूदेवी के मृत्यु प्रमाण में मृत्यु की दिनांक 01.09.1990 का ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जारी किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पाबू देवी के वारिस प्रमाण पत्र बाबत किसी भी न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया था। बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के भरा नामान्तरण प्रथम दृष्टया ही अवैध है। ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जो नामान्तरण भरा गया वह भी भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विपरीत भरा गया लगभग 45 वर्ष पूर्व मृत्यु का नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व मामला तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाकर पक्षकारान के साक्ष्य सबूत के आधार भरा जाता है। ग्राम पंचायत सांधू द्वारा दिनांक 10.05.2024 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें वर्णित है कि पाबू देवी पुत्री सतरा जी पत्नि सादाजी निवासी रेवतडा तहसील सायला जिला जालोर का पीहर का सांथू में तथा ससुराल रेवतडा केरिंगजी पुत्र रामचन्द्र के घर पर था। विवादित खसरा नम्बर 193 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त दुदा राम पुत्र समेला जी के परिवार का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने सोरम देवी पुत्री राईगंजी कौम पुरोहित साकिन देह हाल ससुराल आलासन ने अपने शपथ पत्र में इबादत लिखि है कि विवादित खसरा नम्बर 193 हमारे यानि राईगंजी परिवार का नहीं है। हमारा कोई हक व हिस्सा नहीं है यह खेत मांगीलाल पुत्र दुदाजी कौम पुरोहित साकिन रेवतडा के परिवार का हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालोर को दिनांक 02.05.2024 को रिपोर्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। एवं खसरा नम्बर 192, 193 का पर्चा लगान समेला पुत्र केरिंग जी के नाम बना हुआ है। इससे सावित होता है कि अदरिंगा के वारिशसानो ने कूटरचित दस्तावेजात तैयार पाबू देवी के नाम का फायदा उठाकर उक्त म्यूटेशन संख्या 1680 से दर्ज करवाया। जबकि उक्त म्यूटेशन पाबू देवी पत्नि सादाजी के वारिस केरिंगजी के वारिसानों के नाम से दर्ज किया जाना था। ग्राम पंचायत रेवतडा व पटवार हल्का द्वारा जायज वारिसानों की जांच नहीं

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

की गयी जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। सहायक कलेक्टर सायला द्वारा उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरकरण की अपील पाबु देवी पुत्री सतरा पत्नी सादा के वारिसानों द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। उकत नामान्तरकरण खोलने से पूर्व जायन्दा वारिसानों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गयी है जो किया जाना न्याय संगत था। इस प्रकार नामान्तरकरण बिना जांच के खोला जाकर स्वीकार किया जाना पाया गया जो प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं तथा उक्त म्यूटेशन निरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है जिस पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 1680 दिनांक 07.03.2024 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सायला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि मृतक पाबू देवी पत्नी सादाजी निवासी रेवतडा के हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार जायज जायन्दा उत्तराधिकार / वारिसानों को विधिवत् जांच कर राजस्व रेकर्ड के गत व हाल रेकर्ड की जांच कर हक टाईटल के अनुसार पुनः नियमानुसार म्यूटेशन भरा जावें जबकि तहसीलदार सायला द्वारा उक्त म्यूटेशन में बिना जांच किये ही आदेश दिनांक 22.08.2024 को पारित कर दिया जवकि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सायला, पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्ट देवीसिंह वगैरा के विरूद्ध मुकदमा पुलिस थाना सायला में दर्ज करवाया जिसके मुकदमा संख्या–94/2024 है जो अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी में पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए तहसीलदार व अन्यों के विरूद्ध किया गया। उक्त मुकदमें में तहसीलदार स्वयं मुलजिम होते हुए भी उक्त नामान्तरकरण अपील का आदेश दिनांक 22.08.2024 का पारित कर दिया जिसकी नोटिस आदि अपीलान्ट को नहीं दिये गये एवं सीधे मिलावट करते हुए तहसीलदार सायला ने आदेश पारित किया जो आदेश दिनांक 22.08. 2024 की जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट मांगीलाल को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 देवीसिंह मिला एवं कहने लगा कि तुमने सहायक कलेक्टर सायला से जो आदेश करवाया उसके विपरित मैंने तहसीलदार सायला से मिलावट कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या–1680 को यथावत रखवा दिया ।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सायला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2024 प्रकरण संख्या–5/2024 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा को निरस्त किया जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

ग्राम रेवतडा के वर्तमान खसरा नंबर 193 रकबा 0.75 है० की खातेदारी पावू बेवा सादा पुरोहीत के नाम दर्ज थी। पटवारी हल्का रेवतडा द्वारा नामान्तकरण 1680 द्वारा पावूदेवी के वारिसान के रूप में देवीसिंह, बलवंतसिंह, भीमाराम, वागसिंह, हरचंद पि० राईगजी, सोरमदेवी, ढेलीदेवी, शान्ति देवी पुत्रीया राईगजी का नाम से दर्ज किया जिसे ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा बाद जांच दिनांक 07.03.2024 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट मांगीलाल पुत्र दुदाजी. लालजी, जबरसिंह, भोपसिंह पुत्र दुदाजी द्वारा पावूदेवी को अपनी दादी होना बताते हुए स्वयं को पावूदेवी का वारिसदार बताते है। ग्राम रेवतडा के नामान्तकरण संख्या 1680 दिनांक 07. 03.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमांड कर पावूदेवी के जायज वारिसानो की जांच नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु

29.11.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निर्देश प्रदान किए गए है। ग्राम रेवतडा के वर्तमान खसरा नंबर 193 रकबा 0.75 की खातेदारी पावू पत्नी सादा कौम पुरोहीत के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 193 के पूराने खसरा नंबर 119 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा है। पूराने खसरा नंबर 119 में प्रथम मिसल बंदोबस्त संवत् 2009 से 2028 के खाता संख्या 443 में काश्तकार के रूप में पावू बेवा सादा कौम पुरोहीत साकिन उण हाल देह खातेदार के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 006/2024 अनुसार पावूदेवी पत्नी सादा की मृत्यु 01.09.1990 को ग्राम रेवतडा में होने से अप्रार्थीगण देवीसिंह पुत्र राईगजी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1680 दर्ज किया गया। देवीसिंह, राईगजी पुरोहीत निवासी रेवतडा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार पावूदेवी इनकी भुआ थी। जिनका ससुराल ग्राम उण तहसील आहोर में था। देवीसिह द्वारा अपनी भुआ बतायी जाने वाली पावुदेवी का पीहर ग्राम रेवतडा व ससुराल ग्राम उण तहसील आहोर में है। पावूदेवी के पति का नाम सादाजी पुत्र मकनाजी पूरोहीत निवासी उण था।

पावूदेवी के ससुराल उण में उनके ससुर मकनाजी पुत्र केरींगजी के वारिसदारो की वंशावली अनुसार सादाजी के पिताजी का नाम मकनाजी तथा उनकी पत्नी का नाम पावूदेवी व उनका ससुराल ग्राम रेवतडा मे होना बताया गया है। ग्राम रेवतडा में भी देवीसिंह पुत्र राईगजी के उमोजी परिवार की वंशावली अनुसार उमोजी के पुत्र अदरिंगजी तथा अदरिंगजी के पांच संताने पावु बाई, जमनाबाई, धापुबाई व राईगजी होना बताया है। इस प्रकार पावूदेवी व राईंगजी सगे भाई–बहन है। पावूदेवी नाओलाद फोत होने से उनके वारिसदार उनके सगे भाई राईगजी के पुत्र हरचंदजी, वागसिंह, देवीसिंह, भीमाराम, बलवंतसिंह व पुत्री शांति देवी, सोरम देवी व डेली देवी है।

देवीसिंह पुत्र राईगजी की भुआ का ससुराल ग्राम उण में होना बताया गया है तथा प्रथम मिसल बंदोबस्त में पाबुदेवी पत्नी सादा कौम पुरोहीत साकिन उण हालदेह की खातेदारी दर्ज होने से यह साबित होता है की उक्त खातेदारी देवीसिंह पुत्र राईगजी की भुआ बताई जाने वाली पावूदेवी की है। ग्राम उण में मकनाजी परिवार की वंशावली अनुसार मकनाजी के पुत्र सादाजी तथा सादाजी की पत्नी का नाम पाबूदेवी होना पाया जाता है तथा सादाजी का ससुराल ग्राम रेवतडा में होना बताया गया है पावूदेवी ना ओलाद फौत होने से यह साबित होता है कि उक्त खातेदारी भूमि के वारिसदार खातेदार अदरींगजी के पुत्र राईगजी के वारिसान हरचंदजी, वागसिंह, देविसिंह, भीमाराम, बलवंतसिंह व पुत्री शांति देवी, सोरम देवी व ढेली देवी है।

प्राचीनकाल से चली आ रही राव की बहियों की प्रतियां जिनमें वंशावली का इंन्द्राज किया जाता है पेश की जिसमें उण निवासी सादाजी पुत्र मकनाजी के परिवार में सादाजी पुत्र मकनाजी व उनकी पत्नी पाबूदेवी पत्नी सादाजी के नाम का उल्लेख है. जो कई वर्षों पुराना है। इस प्रकार भू.अ.निरीक्षक ने अपनी जांच में निष्कर्ष में यह बताया की उक्त खातेदारी भूमि वास्तविक रूप से पावू बेवा सादा निवासी उण की है जो नाओलाद फौत हुई थी. ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वो पावूदेवी के वास्तविक वारिसान उनके सगे भाई राईगजी के पुत्र ओर पुत्रीयो के नाम से जारी किया गया है जो सही है। क्योंकि पावूदेवी नाओलाद फौत होने से उनके सगे भाई राईगजी के पुत्र व पुत्रीया वास्तविक वारिसदार है। अप्रार्थी देवी सिंह पुत्र राईंगजी तथा गवाह के रूप

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

में उपस्थित श्री अर्जुनलाल पुत्र चुनाजी उम्र 64 वर्ष जाति गर्ग निवासी रेवतडा व हीरजी पुत्र गलाजी उम्र 72 वर्ष जाति पुरोहीत निवासी रेवतडा के बयान में भी यह वर्णित किया गया है कि उक्त खातेदारी भूमि राईगजी पुत्र अदरिंगजी की सगी बहन पाबूदेवी की है तथा पाबूदेवी नाओलाद फोत होने से उनके वारिसदार उनके सगे भाई राईगजी के वारिसदार हरचंदजी, वागसिंह, देवीसिंह, भीमाराम, बलवंतसिंह व पुत्री शांति देवी, सोरम देवी व ढेली देवी है। इसप्रकार तथ्यात्मक एवं साक्ष्यात्मक रूप से पाबूदेवी पत्नी सादाजी के वारिसान के नाम से ग्राम पंचायत रेवतडा द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तकरण सहीं एवं तथ्यों व साक्ष्यों से पूरित होने के कारण बहाल रखा जावे । अप्रार्थीगण के जवाब व गवाहों के बयानात तथा पूराने राजस्व रेकोर्ड के आधार पर ग्राम रेवतडा एवं खसरा नंबर 193 के खातेदार पाबू पत्नी सादा के वारिसान के नाम से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1680 दिनांक 07.03.2024 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावे।

7. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि यह अपील नामांतरणकरण तस्दीक होने के 39 वर्ष उपरांत प्रस्तुत की गई है जिसके विलम्ब का कोई ठोस औचित्य भी नही दर्शाया है। वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक उद्धरण डीएनजे 2022(2) (रेवेन्यु) पेज सं. 1556 अणचीदेवी बनाम कन्हैयालाल व आरआरडी 2019 पेज सं. 300 गोगा देवी बनाम नारायणलाल वगैरा में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. द्वारा अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को प्रशमित नही करने का आधार बताया। वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसूची प्रथम अनुसार रावतसिह की पुत्री मगूकंवर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार में कब्जा महत्वपूर्ण नही है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज सं. 85 तथा जिस मामले में दोनो पक्षो की साक्ष्य हो वहां मामला रिमाण्ड नही किया जा सकता है। अतः अपील खारीज फरवाई जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज सं. 515 पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

8. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम रेवतडा क खसरा नम्बर 193 रकबा 0.78 है. पुराने खसरा नम्बर 119 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि है। खातेदार पाबू पत्नी सदा की मृत्यु उपरान्त सही वारिस की जांच उपरान्त नामान्तरकरण दर्ज करने का विषय निर्णयाधीन है। अपीलाण्टगण निवासी रेवतडा व रेस्पोडेण्टस निवासी रेवतडा अलग–अलग परिवारो के सदस्य है। दोनो ही पक्ष **"पाबू पत्नी सदा"** जो नाऔलाद फौत हुई है के वारिस होने का दावा कर रहे है। अपीलाण्टगण का आधार पाबूदेवी के पति सादा का अपीलाण्टगण के मूल प्रकरण दूदा पुत्र सामलाजी के पितृपक्ष में होने का दावा होने का है। जबकि रेस्पोडेण्ट का आधार पाबूदेवी का रेस्पोडेण्ट के अपने मूल पुरूष केरिंग जी पुत्र अदरिंगजी की पुत्री होकर भुआ होने का है।

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. दोनो पक्ष पाबूदेवी की मृत्यु 34 से 45 वर्ष पूर्व होने का कथन अलग–अलग करते है। मृत्यु प्रमाण–पत्र पाबूदेवी की विरासत का ना.स. 1610 दिनांक 7.3.2024 को दर्ज होने से 1 महिने पहले जारी हुआ है। ना.स. 1680 बिना विरतृत जांच के रेस्पोडेण्ट के पक्ष में तस्दीक होने पर उपखण्ड अधिकारी, सायला द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, सायला को 135(2) में जांच हेतु रिमाण्ड किया गया। जिस पर 22.08.2024 को तहसीलदार, सायला ने 135(2) में निर्णय पारित किया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत पेश हुई है। प्रकरण में तथ्यो पर गहनता पूर्वक विचार करने के उपरान्त निम्न बिन्दु परिलक्षित होते है–

10.

1) यह भूमि यदि अदरिंग की पुत्री पावू को परिवार में विरासत में मिली थी तो राजस्व अभिलेख में पावु पुत्री अदरिंग जी लिखा जाता। जबकि राजस्व अभिलेख में पाबू पत्नि सादा लिखा है। इस बिन्दु पर विस्तृत जांच तहसीलदार, सायला द्वारा धारा 135(2) आर एल एक्ट अपेक्षित थी। एवं इस बाबत तहसीलदार ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नही किया।

2) दोनो पक्षकार पाबू की मृत्यु कमशः अपीलाण्ट द्वारा 45 वर्ष पूर्व अपने ससुराल रेवतडा में होना एवं रेस्पोडेण्ट 1990 में अपने पीहर में होना स्वीकार कर इसका पंजीयन पूर्व में नही होकर हाल ही रेस्पोडेण्ट के शपथ पत्र के आधार पर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16.1.2024 को जारी जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम के तहत जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर दिनांक 30.1.2024 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है। मृत्यु की तिथि बाबत् उठे उक्त आक्षेपो के मध्य नजर यह ध्यान पूर्वक जांच का विषय है एवं यदि यह मिथ्या तथ्यो पर आधारित है तो तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र को विड्रोल करने/ निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जानी अपेक्षित है एवं झूठे शपथ–पत्र देने वालो के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए। इस बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) आर एल आर एक्ट के विस्तृत जांच अपेक्षित थी जो नही की गई।

3) यह नामान्तरकरण 1680 बिना विस्तृत जांच पटवारी द्वारा 7.3.2024 को दर्ज किया गया था जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी में प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 12.08.24 को पारित कर दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर विस्तृत जांच 135(2) में तहसीलदार, सायला को करनी अपेक्षित थी, परन्तु तहसीलदार ने आनन फानन में प्रकरण द्वारा 135(2) में दर्ज कर नोटिस जारी किये गये जिसकी अपीलाण्ट को प्रोपर तामील नही करवाकर तामील कुनिन्दा द्वारा "आसामी घर पर हाजिर नही मिला" की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही कर

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

22.08.2024 को पुनः वही निर्णय पारित किया गया। जिसमें उक्त बिन्दुओ पर कोई विवेचन/विस्तृत जांच नही की गई।

4) अपीलाण्ट के कथन अनुसार भू.अ.नि. सायला द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट केरिगजी/रामचन्द्र वंशावली में समेला और सदा के रिश्ते बावत कोई जांच नही कर अपूर्ण तथ्यो पर केरिग जी की वंशावली में पावूदेवी पत्नी सादा का नही होना अंकित किया है। जिसके आधार पर तहसीलदार ने धारा 135(2) में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.24 पारित किया है जिस पर पुनः विस्तुत जांच अन्तर्गत धारा 135(2) अपेक्षित है।

5) तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2024 में भू.अ.नि. सायला की रिपोर्ट दिनांक 16.08.24 में जिन राव की बहियो का हवाला दिया है की सत्यता/ प्रमाणिकता बाबत तहसीलदार, सायला को अपने निर्णय में जांच कर अपना अभिमत प्रकट करना चाहिए था जो नही किया गया। साथ ही इन बहियो की फोटो प्रति पत्रावली में प्रस्तुत हुई जो पढनीय लिपि/भाषा में नही है जिसकी हिन्दी अनुवाद एवं स्वच्छ टाईपसुदा पत्र में रेस्पोडेण्ट से प्राप्त करना अपेक्षित था जो नही किया गया।

6) प्रकरण में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.6.24 में विवादित खसरा न. 193 पर कब्जा अपीलाण्ट का होना पाया गया है, जो कब से किस प्रकार काबिज हुए का परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। साथ ही इसके समीप खसरा नंबर 192 (साबित खसरा नंबर 120)पर अपीलाण्ट खातेदार काबिज है।

7) रेस्पो द्वारा अपने पक्ष में नामां संख्या 1680 दिनांक 7.03.2020 का होने उपरान्त वर्तमान के खातेदार उत्तम जैन को दिनांक 08.04.2024 को आनन फानन में बेचान करने के तथ्यो की भी जांच में ध्यान रखकर अंतर्गत धारा 135(2)पर्चा लगान संख्या 2009–2028 में समेला वल्द केरिंग जी का (अपीलाण्ट पक्ष) अंकन होना एवं काश्तकार के कॉलम में पाबू बेवा सादा अंकित है एवं आगे अंकित "उणताल" ("आलोच्य प्रविष्टि") पर अन्य तथ्यों एवं समस्त राजस्व अभिलेख को एक साथ रखकर विस्तृत विवेचन कर विस्तृत निर्णय पारित करना अपेक्षित था, जो नही किया गया। इसी माह संवत् 2004–05 पट्टा ठिकाना व आगामी वर्षो राजस्व अभिलेख का भी समुचित विवेचन किया जाना अपेक्षित है।

10. हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर उक्तानुसार चिन्तन एवं मनन किया गया। बाद अवलोकन तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त बिन्दुओ पर ध्यान पूर्वक नही सुना गया है एवं उक्त बिन्दुओ पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रकरण का समुचित विश्लेषण एवं विवेचन नही किया गया। ऐसी स्थिति में

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)